न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2021	2021 / 227	27.07.2021	23.05.2022

उनवान प्रकरण

नाथी देवी पत्नि गीगाराम उम्र 60 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राजस्थान।

— प्रार्थीया

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

— अप्रार्थी

2. मंदिर मूर्ति गुसाई जी नाथूसर जरिये पुजारी शिवपालदास पुत्र बिड़दूदास
3. मंदिर मूर्ति गुसाई जी नाथूसर जरिये पुजारी राजेन्द्रदास पुत्र बिड़दूदास
4. मंदिर मूर्ति गुसाई जी नाथूसर जरिये पुजारी घनश्यामदास पुत्र बिड़दूदास समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राजस्थान।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार पालीवाल एड0 – प्रार्थीया की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:[illegible]0:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 4084 रकबा 1.14 हैक्टर स्थित है। जिसकी प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 105/भू.अ./21 दिनांक 12.07.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। उक्त वर्णित भूमियों की प्रार्थीया विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाना चाहती है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है। प्रार्थीया का पड़ौसी खातेदारान् तरतीबी अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अनायास ही हैरान परेशान करते रहते है एंव सीमा चिन्हों को नष्ट कर खुर्द-बुर्द करने एंव प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है जो कि काफी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। उक्त लोग कहने सुनने समझाने से मान नहीं रही है। इसलिए प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी एंव उनकी उपस्थिति में करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित हैं। उक्त पत्थरगढ़ी बाबत अन्य सह खातेदारान की सहमति है। जिसकी पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.07.2021 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) एंव तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एंव प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी बाबत अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1249/भू.अ./2022 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई जाने वाली भूमि को मौके पर खाली होने, किसी [illegible] का स्थगन नहीं होने तथा उक्त भूमि किसी बैंक आदि के रहन [illegible] पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

21/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 4084 रकबा 1.1400 हैक्टर के प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 105/एल.आर./21 दिनांक 12.07.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में किया गया है। वही अप्रार्थी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 09.05.2022 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

हमने वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 4084 रकबा 1.1400 हैक्टर के प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 105/एल.आर./21 दिनांक 12.07.2021 की पालना में पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा दिया गया है। जिसकी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में पत्थरगढ़ी करवाई जाने वाली भूमि को मौके पर खाली होकर कोई विवाद नहीं होने तथा उक्त भूमि पर किसी बैंक आदि का रहन दर्ज नहीं होने बाबत [illegible] अपनी सहमति प्रदान की है। [illegible] किये गये सीमाज्ञान के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर [illegible] प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा दिनांक 14.07.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 4084 रकबा 1.1400 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा दिनांक 14.07.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु (यदि आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर ली जावे) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

23/05/22

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को ... लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

23/05/22

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)